

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए 3-60-2005-1-पांच (49).—यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिरूचनाओं में, उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट रीति में तथा सीमा तक संशोधन करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	संशोधन (3)
1.	एफ-ए-3-59-05-1-पांच (16), दिनांक 31-3-2006	अंक "31-3-2010" के स्थान पर, अंक "31-3-2011" स्थापित किए जाएं.
2.	एफ-ए-3-38-06-1-पांच (46), दिनांक 5-7-2006	अंक "31-3-2010" के स्थान पर, अंक "31-3-2011" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच (49).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-60-2005-1-पांच (49), दिनांक 1 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2010

No. F. A-3-60-2005-1-V(49).—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1976), the State Government, hereby, makes the amendments in this Department's Notifications specified in column (2) of the table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said table:—

TABLE

S. No. (1)	Notification No. (2)	Amendments (3)
1.	F-A-3-59-05-1-V (16) dated 31-3-2006	For the figures "31-3-2010", the figures "31-3-2011" shall be substituted.
2.	F-A-3-38-06-1-V (46) dated 5-7-2006	For the figures "31-3-2010", the figures "31-3-2011" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए-3-50-2005-1-पांच (50).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-06-1-पांच (12), दिनांक 14 मार्च, 2006 को विखण्डित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच (50).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-60-2005-1-पांच (50), दिनांक 1 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2010

No. F. A-3-60-2005-1-V(50).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1976), the State Government, hereby, rescinds this Department's Notification No. F-A-3-25-06-1-V (12), dated 14th March, 2006.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.